Toppersnotes®
Unleash the topper in you

मध्य प्रदेश पटवारी

MADHYA PRADESH PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD

भाग – 1

ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज तथा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान

SIERRA INNOVATIONS

मध्यप्रदेश – पटवारी

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान	
1.	मध्यप्रदेश का गठन	1
2.	राज्य का परिचय	3
3.	भू–वैज्ञानिक संरचना	9
4.	पर्वत एवं पठार	10
5.	नदियॉं एवं नदी घाटी परियोजनाएं	14
6.	जलवायु (तापमान एवं वर्षा)	21
7.	मध्यप्रदेश की मिट्टीयॉं	22
8.	मध्यप्रेदश की खनिज संपदा	24
9.	वन एवं वन्य जीव संरक्षण	25
10.	मध्यप्रदेश में कृषि	31
11.	प्रमुख उद्योग	31
12.	परिवहन एवं संचार	35
13.	मध्यप्रदेश में ऊर्जा	40
14.	मध्यप्रदेश मे जनांनकीय	42
15.	मध्यप्रदेश में शिक्षा	46
16.	मध्यप्रेदश में राजनैतिक व्यवस्था	**47**
	• राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभाध्यक्ष	
	• राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त	
	• राज्य वित्त आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	
	• मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश का प्रशासनिक ढाँचा	
17.	मध्यप्रदेश का इतिहास	53
	• प्राचीन काल	53
	• मध्य काल	60
	• आधुनिक काल	62

18.	मध्यप्रदेश में पर्यटन	74
19.	मध्यप्रदेश के प्रमुख महल	75
20.	मध्यप्रदेश के साहित्यकार	76
21.	मध्यप्रदेश के संगीतकार	77
22.	मध्यप्रदेश में लोक गायन	78
23.	मध्यप्रदेश का लोक नृत्य	78
24.	मध्यप्रदेश में लोक नाट्य	79
25.	महत्वपूर्ण मंदिर मध्य प्रदेश	81
26.	मध्यप्रदेश की कल्याणकारी योजनाएँ	82
27.	मध्यप्रदेश में खेल	85
28.	मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार	87
29.	दैनिक जीवन सम्बन्धी विज्ञान	88
	ग्रामीण अर्थव्यवस्था	
30.	कृषि पद्धतियाँ	111
31.	मध्य प्रदेश में कृषि	114
32.	भूमि अभिलेख प्रबंधन	121
33.	मध्यप्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योग	126
34.	मध्य प्रदेश में पशुपालन	134
35.	मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन	138
36.	मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1993**	140
37.	मध्यप्रदेश में नगरीय संस्थाओं का विकास	148
38.	ग्रामीण अर्थव्यवस्था व पंचायती राज **(PYQ)**	154
39.	मध्यप्रदेश की जाति एवं जनजाति	158

मध्यप्रदेश राज्य का गठन

- भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भारत का एक भू-आवेष्ठित राज्य है । मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप, जो आज हमें दिखाई देता है, वह एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम है । ब्रिटिशकाल मं मध्यप्रदेश का स्वरूप पूर्णतः पृथक था। स्वतंत्रता पूर्व मध्यप्रदेश वर्तमान स्वरूप में न होकर अलग-अलग प्रांतों तथा रियासतों में विभक्त था । इन रियासतों में सबसे प्रमुख रियासत सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार थी, जिसकी राजधानी नागपुर थी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य रियासतें थी, जैसे- पूर्व में बघेलखण्ड, छत्तीसगढ व दण्डकारण्य रियासतें, पश्चिम में मध्य भारत उत्तर में विन्ध्यप्रदेश तथा मध्य में महाकौशल तथा भोपाल की रियासतें।
- स्वतंत्रता के पश्चात् आधुनिक मध्यप्रदेश के निर्माण के क्रम में इसके स्वरूप में कई परिवर्तन किए गए। सर्वप्रथम सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार, बघेलखण्ड, छत्तीसगढ तथा दण्डकारण्य की रियासतों को मिलाकर 'पार्ट ए स्टेट' बनाया तथा इसकी राजधानी नागपुर रखी गई । मध्य भारत को ' पार्ट बी स्टेट' का दर्जा दिया गया तथा इसकी राजधानी ग्वालियर एवं इन्दौर बनाई गई । इसके अतिरिक्त विन्ध्यप्रान्त को 'पार्ट-सी' का दर्जा देकर इसकी राजाधानी शिवा को बनाया गया । भोपाल को एक स्वतंत्र प्रांत बनाकर 'पार्ट-सी' स्टेट के अन्तर्गत ही रखा गया । यह विभाजन भौगोलिक आधार पर किया गया था, न कि भाषागत् या क्षेत्रीय पर ।
- 20 दिसम्बर 1953 ई. में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई तथा हृदय नाथ कुजरू एवं के. एस. पणिक्कर इसके सदस्य थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 को सौंपी, रिपोर्ट में भारत में 14 राज्य व 6 केन्द्र शासित प्रदेशों के गठन की अनुशंसा की । आयोग की अनुशंसा पर 1 नवम्बर 1956 ई. को भाषायी आधार पर मध्यप्रदेश की गठन की अनुशंसा की । आयोग की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश के गठन हेतु निम्नलिखित परिवर्तन किए गए-
    - सर्वप्रथम पार्ट 'ए' स्टेट के 8 जिलों को महाराष्ट्र राज्य को देकर पार्ट ए की शेष 15 रियासतों को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ये मराठी भाषायी 8 जिले बुल्ढाना, वर्धा, भण्डारा, अमरावती, अकोला, चाँदा, यवतमाला तथा नागपुर थे ।
    - पार्ट 'बी' को कुछ परिवर्तनों के साथ मध्य प्रदेश में मिलाया गया, जिनमें कुल 26 रियासतें थी। इन परिवर्तनों में सर्वप्रथम मन्दसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा राजस्थान को दिया गया, जबकि कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में मिलाया गया ।
    - पार्ट 'सी' स्टेट को भोपाल रियासत सहित मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, जिनमें कुल 38 रियासतें थी ।
    - इस प्रकार पार्ट- ए, पार्ट-बी, पार्ट-सी क्रमशः 15, 26 एवं 38 रियासतों को मिलाकर (कुल 79) मध्य प्रदेश का गठन किया गया ।
- इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात् 1 नवम्बर, 1956 को मध्य प्रदेश का गठन पूर्ण हुआ तथा इसकी राजधानी भोपाल रखी गई । यहाँ उल्लेखनीय है कि भोपाल तत्कालीन समय में स्वतंत्र जिला न होकर सीहोर जिले की तहसील था । 1 नवम्बर, 1956 ई. को जिस मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, उसमें 8 संभाग और 43 जिले थे । इस नवनिर्मित मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभि सीतारमैया को तथा मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ला को बनाया गया ।

मध्य प्रदेश के जिलों का पुनर्गठन

- 1947 में भारत की आजादी के बाद, 26 जनवरी, 1950 के दिन भारतीय गणराज्य के गठन के साथ सैकडों रियासतों का संघ में विलय किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन के साथ सीमाओं को तर्कसंगत बनाया गया। 1950 में पूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरार, मकराई के राजसी राज्य और छत्तीसगढ मिलाकर मध्यप्रदेश का निर्माण हुआ तथा नागपुर को राजधानी बनाया गया। सेंट्रल इंडिया एजेंसी द्वारा मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल जैसे नए राज्यों का गठन किया गया। राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप 1956 में, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मध्यप्रदेश में विलीन कर दिया गया, तत्कालीन सी.पी. और बरार कुछ जिलों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया तथा राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में मामूली समायोजन किए गए। फिर भोपाल राज्य की नई राजधानी बन गया। शुरू में राज्य के 43 जिले थे। इसके बाद, वर्ष 1972 में दो बडे जिलों का बंटवारा किया गया, सीहोर से भोपाल और दुर्ग से राजनांदगांव

अलग किया गया। तब जिलों की कुल संख्या 45 हो गई। वर्ष 1998 में, बडे जिलों से 16 अधिक जिले बनाए गए और जिलों की संख्या 61 बन गई। नवंबर 2000 में, राज्य का दक्षिण-पूर्वी हिस्सा विभाजित कर छत्तीसगढ का नया राज्य बना। इस प्रकार, वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य अस्तित्व में आया, जो देश का दूसरा सबसे बडा राज्य है और जो 308 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र पर फैला हुआ हैद्य

- सन् 1982 में बी.आर.दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिनकी अनुशंसा को पटवा सरकार ने 1989-90 में अनुमोदन प्रदान किया, लेकिन यह लागू नहीं हो सका ।
- दिग्विजय सिंह सरकार ने 25 मई, 1998 को अधिसूचना जारी कर 10 नये जिलां का गठन कर दिया । ये जिले इस तरह बने ।
  1. बडवानी (खरगोन)
  2. श्योपुर (मुरैना)
  3. डिंडोरी- (मण्डला)
  4. कटनी (जबलपुर)
  5. कोरिया (सरगुजा)
  6. जशपुर (रायगढ)
  7. कोरबा (बिलासपुर)
  8. जाँजगीर चाँपा (बिलापुर)
  9. काकेर (बस्तर)
  10. दन्तेवाडा (बस्तर)
- इन दस जिलों के निर्माण के बावजूद क्षेत्रीय विवाद की समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिसके कारण सिंहदेव कमेटी का गठन किया गया जिसकी अनुशंसा पर 10 जून, 1998 को 6 और नये जिले गठित किये गये, जो इस प्रकार हैं-
  1. उमरिया शहडोल)
  2. हरदा (होशंगाबाद) — 3 जिले
  3. नीमच (मंदसौर)
  4. महासमुन्द (रायपुर)
  5. धमतरी (रायपुर) — 3 जिले
  6. राजनांदगाँव (कवर्धा)
- इस प्रकार प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो गई ।
- वर्तमान में 52 जिले हैं ।

मध्यप्रदेश के संभाग (Division)

1. भोपाल - भोपाल, रायसेन, राजगढ, सीहोर, विदिशा (5)
2. चम्बल - श्योपुर, मुरैना, भिंड (3)
3. ग्वालियर - ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोक नगर (5)
4. इन्दौर - अलीराजपुर, बडवानी, बुरहानपुर, धार, इन्दौर, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन (8)
5. जबलपुर - जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिन्दवाडा, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी (8)
6. नर्मदापुरम - होशंगाबाद, बैतूल, हरदा (3)
7. रीवा - रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली (4)
8. सागर - सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ, पन्ना, निवारी (6)
9. शहडोल - शहडोल, उमरिया, अनूपपुर (3)
   उज्जैन - उज्जैन, देवास, आगर-मालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच (7)

मध्यप्रदेश का विभाजन एवं छत्तीसगढ का गठन

- जुलाई 2000 में भारतीय संसद में छत्तीसगढ गठन विधेयक पारित किया गया, जिसे अगस्त 2000 में मध्यप्रदेश विधानसभा के द्वारा अनुमोदन (स्वीकृति) किया गया और 31 अक्टूबर 2000 को धान का कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ अंचल मध्यप्रदेश से पृथक् कर दिया गया 1,35,994 वर्ग किमी. क्षेत्रफल छत्तीसगढ राज्य में चला गया 3 संभाग एवं 16 जिले छ.ग. राज्य में चले गये जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 45 रह गई ।
- तृतीय जिला पुनर्गठन कमेटी (बोस कमेटी) की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश में 15 अगस्त 2003 को तीन नये जिले निर्मित किये गये ।
  1. अनूपपुर - शहडोल
  2. अशोकनगर-गुना
  3. बुरहानपुर - खण्डवा
- इस तरह मध्यप्रदेश में कुल जिलों की संख्या 48 हो गयी। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर को जिला बनाया गया तथा 24 मई 2008 को सीधी जिले से सिंगरौली को जिला बनाया गया इस तरह कुल जिलों की संख्या 50 हो गयी ।
- 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से आगर-मालवा को जिला बनाया गया आगर-मालवा में आगर,

सुरनेर, नलखेडा, बडौद इन चारों तहसीलों को मिलाकर आगर-मालवा को जिला बनाया गया ।

- 01 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ जिले से निवाडी को प्रदेश का 52 वाँ जिला बनाया गया जिसमें निवाडी, पृथ्वीपुर एवं ओरछा तहसील शामिल की गई ।

मध्यप्रदेश राज्य का परिचय

- स्थापना :- 1 नवम्बर, 1956
- पुनर्गठनः- 1 नवम्बर, 2000 ई.

मध्य प्रदेश के सीमांत बिन्दु

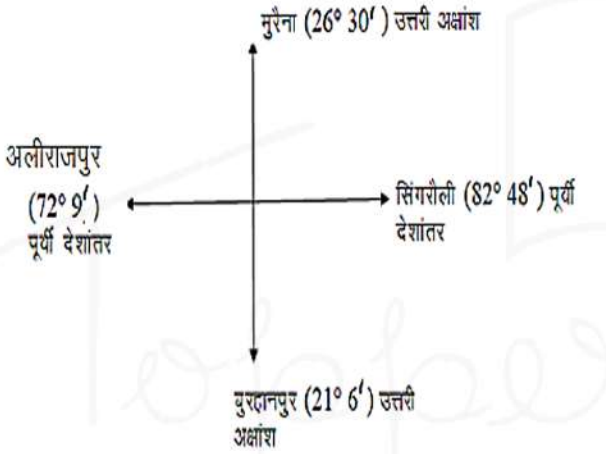

मध्यप्रदेश : सीमावर्ती राज्य एवं जिले

क्र. सं.	सीमावर्ती राज्य	सीमावर्ती जिले (MP)	सीमार्ती जिले (UP)
1	उत्तर प्रदेश (उत्तर में)	सिंगरौली, सागर, गुना, दतिया, शिवपुरी, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, भिण्ड, टीकमगढ, निवाडी (13)	आगरा, ईटावा, झाँसी, बाँदा, ललितपुर, हमीरपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, उरई
2	राजस्थान (उत्तर-पश्चिम में)	मुरैना, शिवपुरी, गुना, आगर-मालवा, राजगढ, नीमच, मंदसौर, रतलाम,	बाँसवाडा, चित्तौडगढ, बारां, झालावाड, धौलपुर, कोटा,
		झाबुआ, श्योपुर (10)	सवाई माधोपुर
3	महाराष्ट्र (दक्षिण में)	खरगौन, बडवानी, बैतूल, खण्डवा, छिंदवाडा, सिवनी, बालाघाट, अलीराजपुर, बुरहानपुर (9)	धुले, भुसावल, अमरावती, नागपुर, भण्डारा
4	छत्तीसगढ (दक्षिण-पूर्व में)	सीधी, शहडोल, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सिंगरौली (7)	सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग
5	गुजरात (पश्चिम में)	झाबुआ, अलीराजपुर (2)	वडोदरा

- क्षेत्रफलः- 3,08, 252 वर्ग किमी.
- विस्तारः- पूर्व से पश्चिम- 870 किमी. एवं उत्तर से दक्षिण - 605 किमी.
- राजधानीः- भोपाल
- मुख्य भाषाः- हिन्दी
- कुल जनसंख्याः- 7,26,26,809
- पुरूषः- 3,76,12,306
- महिलाः- 3,50,14,503
- जनसंख्या वृद्धि दरः- 20.30% (दशकीय)
- जनसंख्या घनत्वः- 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
- लिंगानुपातः- 931 (प्रति हजार)
- साक्षरता :- 69.3%
- अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्याः- 1,53,16,784
  - पुरूषः- 77,19,404
  - महिला :- 75,97,380
- कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशतः- 21.09 प्रतिशत
- अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या :-1,13,42,320
  - पुरूष :- 59,08,638
  - महिला :- 54,33,682
- कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशतः- 15.6 प्रतिशत
- कार्य सहभागिता दर 43.5%
- कुल संभागः- 10
- कुल जिले :- 52
- कुल नगरः- 394

- ग्राम पंचायत :- 23006
- कुल नगर निगमः- 16
- कुल नगर पालिकाएंः- 99
- कुल नगर पंचायतः- 293
- जनपद पंचायतः- 313
- जनपद पंचायत सदस्यः- 6816
- जिला पंचायतः- 52
- कुल ग्रामः- 55,393
- आबाद ग्रामः- 54,903
- सबसे छोटी तहसील (जनसंख्या):- सैंन (भिण्ड)
- सबसे बडी तहसील (जनसंख्या):- इन्दौर
- सबसे बडी तहसील (क्षेत्रफल):- मण्डला
- सबसे छोटी तहसील (क्षेत्रफल):- अजयगढ (पन्ना)
- सबसे बडा जिला (जनसंख्या):- इन्दौर
- सबसे छोटा जिला (जनसंख्या):- निवाडी
- सबसे बडा संभाग (क्षेत्रफल):- जबलपुर
- सबसे छोटा संभाग (क्षेत्रफल):- शहडोल
- सबसे घनी आबादी वाली तहसीलः- इन्दौर
- सबसे बडा नगर :- इन्दौर
- सबसे घनी आबादी वाला जिलाः- भोपाल (854)
- सबसे बडा जिला (क्षेत्रफल):- छिन्दवाडा
- सबसे छोटा जिला (क्षेत्रफल):- निवाडी
- राजभाषा :- हिन्दी
- अन्य भाषायें :- उर्दू एवं अन्य क्षेत्रीय भाषायें
- प्रमुख धर्म :- हिन्दू
- उच्च न्यायालय :- जबलपुर (इन्दौर व ग्वालियर में खण्डपीठ)
- राजकीय पशु :- बारहसिंगा
- राजकीय वृक्ष :- बरगद
- राजकीय पक्षी :- दूधराज
- राजकीय पुष्प :- सफेद लिली
- राजकीय खेल :- मलखम्ब
- राजकीय मछली :- महाशीर

• मानवाधिकार आयोग गठित करने तथा मानव विकास रिपोर्ट पेश करने के मामले में देश में मध्यप्रदेश राज्य का क्रम स्थान	प्रथम
• राज्य के प्रत्येक जिले में उद्योग स्थापित करने के मामले में मध्यप्रदेश का स्थान	दूसरा (प्रथम पश्चिम बंगाल)
• विशेष क्षेत्र प्राधिकरण स्थापित करने के मामले में देश में राज्य का स्थान	प्रथम
• जिला सरकार की अवधारणा अपनाने के मामलें में राज्य का स्थान	प्रथम
• ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू करने के मामले में राज्य का क्रम स्थान	प्रथम
• 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करने के मामले में राज्य का क्रम स्थान	प्रथम
• 73 वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1993 में पंचायती राज लागू करने के मामले में राज्य का स्थान	प्रथम
• पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में देश में राज्य का स्थान	प्रथम
• हिन्दी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का राज्य	प्रथम
• हीरे के उत्पादन में मध्यप्रदेश का स्थान	प्रथम
• मैंगनीज उत्पादन में मध्यप्रदेश का स्थान	दूसरा
• ताँबा के उत्पादन में मध्यप्रदेश का स्थान	प्रथम

• देश की सबसे बडी मस्जिद प्रांगण	ताजुल मस्जिद (भोपाल)
• भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना लगभग 200 करोड रूपए की अनुमानित लागत से राज्य के जिस स्थल पर 'नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन' की स्थापना की जानी है, वह है।	मण्डीदीप (रायसेन)
• अंतर्राष्ट्रीय बोरलॉग कृषि शोध (रिसर्च) संस्थान की स्थापना की जा रही है।	जबलपुर
• राज्य के 52 जिला पंचायतों के अध्यक्षों के लिए सम्पन्न आरक्षण कार्यवाही महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए आरक्षित स्थान हैं ।	25
• अक्टूबर 2004 तक देश में	प्रथम
• राज्य का प्रथम पर्यटन केन्द्र	शिवपुरी
• भारत का प्रथम रत्न परिष्करण केन्द्र	जबलपुर में
• देश का प्रथम 'आपदा प्रबन्धन संस्थान'	भोपाल में
• सूती वस्त्र के उत्पादन मे राज्य का क्रम स्थान	तीसरा (महाराष्ट्र व गुजरात क्रमशः प्रथम द्वितीय)
• देश में प्रथम आदिवासी शोध संचार केन्द्र	झाबुआ
• राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ	15 फरवरी 1994 को
• भारत-भवन स्थित है	भोपाल
• राज्य में पाया जाने वाला सर्वाधिक वन वृक्ष	सागौन (17.8 प्रतिशत)

• राज्य का सबसे बडा रेलवे जंक्शन	इटारसी (होशंगाबाद)
• राज्य का सबसे लम्बा पुलः-	महानदी पुल (तवा नदी पर होशंगाबाद के नजदीक 1322.56मीटर)
• देश का प्रथम सौर चालित टेलीफोन एक्सचेन्ज	आयोलपाटा (शिवपुरी)
• देश का प्रथम राष्ट्रीय युवा महोत्सव का स्थल है।	भोपाल (जनवरी 1995)
• राज्य में सर्वप्रथम नगरपालिका स्थापित हुई	दातिया में (1907 में)
• भोपाल गैस काण्ड घटित हुआ	2 दिसम्बर की रात, 1984
• भारत का जिब्राल्टर उपनाम है।	ग्वालियर किले का
• राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया	3 बार
• राज्य की प्रथम किन्नर महापौर	कमला बुआ (सागर)
• राज्य में सर्वाधिक ताँबे की खान	बालाघाट में
• राज्य का प्रथम हाइवे एक्सप्रेस मार्ग	इन्दौर-भोपाल
• सतना का मझगवाँ संबंधित है	हीरे के खान से
• राज्य में सर्वाधिक प्रसार वाला समाचार पत्र	दैनिक भास्कर
• राज्य का पहला सैलरिच जैविक खाद्य संयन्त्र स्थापित है	भोपाल में (कृषि उद्योग विकास निगम)
• रिलायन्स समूह द्वारा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट राज्य के जिस जिले में स्थापित की जानी है, वह है	(सॉसन) सिंगरौली

आधुनिक इतिहास

- 1732 ई. तक म.प्र. में निम्न पाँच मराठा राज्यों की नींव पड चुकी थी –

इन्दौर	–	होलकर राजवंश
धार	–	आनन्द राव पवार वंश
देवास, बडी पांती	–	तुकोजी राव पवार वंश
देवास, छोटी पांती	–	जीवाजी राव वंश
ग्वालियर	–	सिंधिया वंश

होल्कर वंश

मुगलों के पतन के बाद मालवा पर होल्कर वंश का राज स्थापित हुआ । वस्तुतः होल्करों को मालवा मराठा साम्राज्य के पाँच सरदारों में विभाजनीकरण स्वरूप मिला था ।

- 1727 में मल्हारराव होल्कर को मालव के 5 महलों की सनद पेशवा से मिली थी और राज्य के इस भाग में मराठा राज शुरू हुआ । 1729 में धार-देवास के पवार राज को भी सनद मिली, लेकिन 1730 में होल्कर को क्षेत्र का सर्वोच्च शासक स्वीकारा गया । 1731 में सिंधिया को ग्वालियर क्षेत्र का शासक स्वीकारा ।
- पेशवा बाजीराव ने 1732 में मालवा सूबा होल्कर, सिंधिया और पवार के बीच विभक्त कर दिया ।
- 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में हारकर लौटे मल्हार राव होल्कर की मालवा में स्थिति अधिक सुदृढ हुई । 1766 को उसकी मृत्यु (जिला भिंड) के बाद मालेराव होल्कर राजा बना लेकिन 1 वर्ष बाद ही चल बसा । तब उसकी माता अहिल्याबाई ने स्वयं शासन (1767) संभाला और 1797 तक अपने 30 वर्षीय शासनकाल में इतने लोकोपकारी कार्य किये कि जनता के मध्य वह लोकप्रिय हो गयी । उन्हें तुकोजी होल्कर नामक सेनापति ने शासनकार्य में महत्वपूर्ण सहयोग दिया । माता ने राज्य भर में कुँए, बावडियाँ, प्याऊ, धर्मशालाएँ आदि अधिक संख्या में बनवाएँ । अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की माता अहिल्यादेवी भगवान शंकर की उपासिका थी और धार्मिक रूप से अत्यंत सहिष्णु थी । उनके दरबार में सबको न्याय मिलता था । कहते हैं कि उन्होंने अपने एक प्रिय पुत्र को न्याय के लिए हाथी के पैरों तले कुचलवा देने का निर्णय दिया था । 1797 में माता अहिल्या ने अंतिम सांस ली ।
- अहिल्याबाई की मृत्यु के पश्चात् तुकोजीराव होल्कर ने प्रशासन कार्य संभाला, किन्तु 15 अगस्त, 1797 को उनकी भी मृत्यु हो गई । इसके पश्चात् काशीराव, यशवंतराव प्रथम, तुलसाबाई तीनों ने मल्हारराव होल्कर के नाम पर शासन किया । अंतिम राजा तुकोजी तृतीय के समय इस राज्य का विलय मध्य भारत प्रांत में हुआ ।
- होल्कर वंश (तुकोजीराव होल्कर द्वितीय) ने 1857 के गदर में क्रांतिकारियों का गुप्त समर्थन किया था।

सिंधिया वंश

- जैसा ऊपर बताया गया है, कि 1731 में मालवा का एक भाग सिंधिया को मिला था, उसके शासक राणोजी सिंधिया जी थे ।
- ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक : राणोजी शिंदे ।
- 1729 ई. में झमझेरा के युद्ध में राणोजी ने वीरता का प्रदर्शन किया था तथा पुणे दरबार से राणोजी को होल्कर वंश के समान भागीदारी दी गई, जिसमें उन्हें उज्जैन, शाजापुर और शुजावलपुर (शुजालपुर) आदि क्षेत्र प्राप्त हुए ।
- 1766 ई. में उत्तर भारत की आय के बँटवारे से पेशवा सरकार को 46 प्रतिशत तथा होल्कर एवं सिंधिया प्रत्येक को 21 प्रतिशत भाग प्राप्त होता था वर्ष 1745 में राणोजी की मृत्यु के पश्चात् सिंधिया वंश का सबसे प्रतापी राजा महादजी सिंधिया सत्तासीन हुआ ।
- 1761 में पानीपत युद्ध से भागकर आये महादजी सिंधिया ने लोकेन्द्र सिंह जाठ से ग्वालियर का किला छीना (1765) ।
- महादजी वीर योद्धा और कुशल प्रशासक थे ।
- महादजी ने ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना की । उन्होंने दिल्ली के मुगल सम्राट पद पर शाह आलम को बैठाया और उस पर अपना नियंत्रण रखा । शाह आलम ने महादजी को अपना "वकील" (प्रधानमंत्री) बनाया ।
- 1794 में दौलत राव सिंधिया महादजी के उत्तराधिकारी बने । दौलत राव ने उज्जैन के स्थान पर लश्कर (ग्वालियर) को अपनी राजधानी 1810 में बनाया । इसके पश्चात् जाकोजी, जयाजीराव, माधव राव प्रथम और जीवाजीराव शासक बने । जीवाजी राव के समय ही मध्य भारत के राजाओं का एक संघ बना, जिसका नाम मध्य भारत देकर भारतीय संघ में उसके विलय का प्रस्ताव हुआ । मध्य भारत के पहले राजप्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया ने 18 मई, 1948 को शपथ ली ।
- जीवाजी राव के व्यस्क होने तक रियासत का प्रशासन चलाने के लिए महारानी की अध्यक्षता में कौंसिल ऑफ एजेंसी का गठन किया गया था ।

- महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का विवाह राजमाता विजयाराजे से हुआ था । विजयाराजे का जन्म मध्यप्रदेश के सागर जिले में हुआ था ।
- मृदुला सिन्हा ने "एक रानी ऐसी भी" के नाम से राजमाता विजयाराजे की जीवनी लिखी है ।
- उल्लेखनीय है कि सिंधिया घराने ने 1857 के गदर में अंग्रेजों का समर्थन किया था ।
- मई 1948 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने मध्य भारत राज्य के प्रथम राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया को शपथ दिलाई थी ।

1857 में मध्यप्रदेश के नायक

विद्रोही	विद्रोह से जुड़े उल्लेखनीय तथ्य
शेख रमजान (सागर)	इनके नेतृत्व में अश्वरोही सैन्य टुकडी ने सागर में विद्रोह किया ।
शंकरशाह (शाकिरशाह) (गढ मंडला)	इन्होंने तथा इनके पुत्र ने गढा मण्डला की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाया था ।
राजा ठाकुर प्रसाद	राघवगढ के किशोर राजा ने विद्रोह किया था । आजीवन कारावास हुआ ।
श्री बहादुर देवीसिंह	मंडला में विद्रोह करने पर फाँसी ।
शहादत खान	इंदौर के समीप महू की छावनी में इन्होंने अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया
रानी लक्ष्मीबाई (झाँसी)	कालपी में तात्या टोपे व रानी की संयुक्त सेना ने हुरोज की अंग्रेजी सेना पर हमला बोला रानी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हुई ।
सुरेन्द्र राय	संबलपुर राज्य (वर्तमान जिला छत्तीसगढ) के शासक, एक महान योद्धा उन्होंने अंत तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा म.प्र. के बुन्देलखण्ड तक आये ।
तात्या (कानपुर) झाँसी ग्वालियर	नाना साहेब के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष किया । इन्हें शिवपुरी में फाँसी दी गई (1959) ।
भीमा नायक (मंडलेश्वर)	इन्होंने निमाड में जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किया ।
झलकारी बाई (झाँसी)	महारानी लक्ष्मीबाई की युद्ध में सहायता की । कटार घोंपकर प्राणों की आहुति दी ।
टंट्या भील (खरगौन)	टंट्या भील का जन्म 1842 में खरगौन के विरी गाँव में हुआ था । 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और बहन सुरेखा से राखी बँधवाते समय सन् 1888 में अंग्रेजों द्वारा फाँसी दी गई ।

सन् 1857 : प्रमुख विद्रोही

विद्रोही	सम्बन्धित स्थल
शेख रमजान	सागर
टंट्या भील	खरगोन
शंकरशाह	गढा मण्डला
राजा ठाकुर प्रसाद	राघवगढ
नारायण सिंह	रायपुर
शहादत खान	महू
रानी लक्ष्मीबाई	झाँसी - कालपी
सुरेन्द्र राय	सम्बलपुर (छत्तीसगढ)
तॉत्या टोपे	कानपुर - झाँसी - ग्वालियर
भीमा नायक	मण्डलेश्वर (उज्जैन)
रानी अवन्तिबाई	रामगढ
झलकारी बाई	झाँसी (लक्ष्मीबाई की अंगरक्षक)
गिरधारी बाई	अवन्तिबाई की अंगरक्षक
श्री बहादुर एवं देवी सिंह	मण्डला

मध्यप्रदेश के प्रमुख विद्रोह
(1818-1857 तक)

1. महाकौशल के विद्रोह

- 1818 में प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम विद्रोह की चिंगारी दिखाई पडी, जब अंग्रेजों ने नागपुर तत्कालीन देशभक्त शासक अप्पाजी भौंसले को
- एडला, बैतूल, छिंदवाडा, सिवनी और नर्मदा कछार का क्षेत्र छोड देने हेतु बाध्य किया । ऐसी स्थिति में अप्पा साहिब ने अरबी सैनिकों की सहायता से मुलताई के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया किन्तु उन्हें पराजित होकर भागना पडा ।
- सन् 1833 में रामगढ नरेश जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह किया किन्तु वे भी असफल रहे । अंग्रेजों के विरूद्ध हीरापुर के किसनेशाह ने 1842 में विद्रोह किया । इस प्रकार सागर, दमोह, नरसिंहपुर से लेकर जबलपुर, मण्डला और होशंगाबाद तक के सारे क्षेत्रों में विद्रोह की आग भडक उठी । विद्रोह के प्रमुख नायक भरहुत के मधुकशाह, चन्द्रपुर (सागर) के जमींदार जवाहरट सिंह बुन्देला, हीरापुर किसने शाह और मदनपुर (नरसिंहपुर) के गोंड जमींदार दिल्हन शाह थे । आपसी सामंजस्य और तालमेल के अभाव के कारण इस प्रयास को अंग्रेज दबाने में सफल हो गये ।

2. सागर – नर्मदा घाटी विद्रोह (1842)

- कारण : ब्रिटिश अत्याचार
- नेतृत्व : जवाहरसिंग बुंदेला (चन्द्रपुर), मधुकर शाह (नारहुत)
- सहयोगी : दिल्लनशाह (मदनपुर), राजा हिरदाशाह (हीरापुर), नरसिंहपुर के अन्य नेतागण
- परिणाम : मधुकर शाह, हिरदाशाह को जनता के बीच फाँसी । जनता में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश चरम पर ।

मध्यप्रदेश में "गदर" (1857 की क्रांति)

- मेरठ विद्रोह (10 मई) के लगभग 1 माह बाद म. प्र. में भी क्रांति की आग भडकी ।
- मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम नीमच छावनी से विद्रोह उठा जब सैनिकों ने 3 जून को अंग्रेजी बंगलों में आग लगा दी । यहाँ के किले पर अधिकार करने का प्रयास अंग्रेजी कर्नल सोबर्स ने विफल किया ।
- राज्य में तात्या टोपे, नाना साहब के प्रयत्नों से सैनिकों, किसानों, ग्रामीणों के मध्य क्रांति संदेश कमल और रोटी के माध्यम से पहुँच गया था ।
- ग्वालियर की मुरार छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर संचार व्यवस्था भंग कर दी (14 जून 1857) ।
- शेख रमजान के नेतृत्व में सागर छावनी में विद्रोह हुआ ।
- गढमण्डला में शंकर शाह (गोंड वंश) ने विद्रोह किया । 20 जून, 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ ।
- राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ श्री बहादुर और देवी सिंह ने मण्डला तथा जमींदार वीरनारायण सिंह ने रायपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया ।
- 20 जून, 1857 को शिवपुरी में विद्रोह के पश्चात् बुंदेलखण्ड के स्थानीय सैनिकों ने भी विद्रोह किया ।
- इसी समय महु छावनी में सआदत खां के नेतृत्व में जबर्दस्त विद्रोह हुआ और अंग्रेजी सेना परास्त (केप्टन स्टुअर्ट) कर दी गयी । महाराजा होल्कर विद्रोहियों को सहायता दे रहे थे ।
- इस घडी में अंग्रेजों के सभी अधिकारी (कर्नल स्टाकटो ट्रेवर्न कैप्टन लुडओ, कैप्टन कीथ, कर्नल ड्युरेण्ड) इन्दौर में ही मौजूद थे लेकिन विद्रोहियों के आक्रमक रूख के कारण वे सब अपने मित्रों व परिजनों के साथ सीहोर चले गए । यहाँ उनकी सहायता भोपाल की बेगम सिकन्दर द्वारा की गई । कर्नल ड्यूरेण्ड होशंगाबाद के रास्ते पुनः महू छावनी आये ।
- अमझेरा, सरदारपुर के विद्रोह का लाभ उठाकर शहजादा हुमायुँ ने मन्दसौर के कुछ क्षेत्रों का अपने को शासक घोषित कर दिया ।
- बानापुर, शाहगढ के राजाओं ने भी विद्रोह कर दिया
- मंडलेश्वर (धार) में घुडसवार व पैदल सेना की टुकडी ने यहाँ के सेन्ट्रल जेल पर हमला बोल दिया । इस प्रकार विद्रोहियों द्वारा जेल पर 2 वर्ष तक कब्जा कर अपने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी गई । इस घटनाक्रम में बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हैब्स मारे गये ।
- यह पर भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासी विद्रोह भी हुए थे ।
- इस क्रांति की मुख्य पात्र थी – रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने तात्या टोपे के साथ ग्वालियर का घेरा डाला । इसी समय जनरल ह्यूरोज आ गया और रानी लडते हुए वीरगति को प्राप्त हुई ।
- 17 जून, 1858 में रॉयल आयरिश के विरूद्ध युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंग रक्षिका झलकारी बाई के साथ ग्वालियर के समीप (कोटा के सराय) वीरगति को प्राप्त हुई ।
- 1857 ई. के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे (मूल नाम रामचन्द्र पाण्डुरंग) ने अपनी छापामार रणनीति से अंग्रेजों को क्षति पहुँचाई । तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है ।
- तात्या टोपे (रामचन्द्र पाण्डूरंग) 2 वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध छेडे रहें, लेकिन नरवर के गद्दार सामन्त मानसिंह ने उन्हें अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया शिवपुरी में 1859 में फाँसी दे दी गयी ।
- एक और वीरांगना अवंतीबाई ने रामगढ रियासत (मण्डला) में झाँसी की रानी जैसी भूमिका निभाई और अंग्रेज सेनापति बार्डन को भगा दिया । अंततः बार्डन ने रीवा रियासत की सहायता से रानी को परास्त किया और रानी ने दुर्गावती के अनुरूप अपनी शहादत दी । उनकी सहायक गिरधारी बाई ने भी ऐसा ही किया ।

मध्यप्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन वर्ष

समाचार पत्र	वर्ष	भाषा	प्रकाशन स्थल प्रकार
ग्वालियर	1840	उर्दू	पहला समाचार पत्र
मलवा अखबार	1848	हिंदी	इंदौर हिंदी का पहला समाचार पत्र

ग्वालियर गजट	1853	हिंदी	ग्वालियर से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र
पूर्ण चंद्रोदय	1880	मराठी	इंदौर साप्ताहिक होल्कर
सरकार गजट	1873	मराठी	इंदौर साप्ताहिक
जबलपुर समाचार पत्र	1883	अंग्रेजी	जबलपुर पहला मासिक समाचार पत्र
भारतभ्राता	1887	हिंदी	हिंदी सेवा विंध्य का पहला समाचार पत्र
नव जीवन	1915	हिंदी	इंदौर मासिक समाचार पत्र

- ग्वालियर गजट नव 1886 हिंदी व ग्वालियर 1906 में नाम बदलकर संस्करण अंग्रेजी ग्वालियर स्टेट गजट रखा गया
- जयाजी प्रताप नव 1905 ग्वालियर साप्ताहिक समाचार पत्र संस्करण मध्यप्रदेश संदेश के नाम भोपाल से प्रकाशित होता है ।
- नई दुनिया 1947 हिंदी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रायपुर से प्रकाशन खेल हलचल हिंदी इंदौर नई दुनिया समूह इंदौर ।

मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक व्यक्तित्व

रानी लक्ष्मीबाई

- रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवम्बर, 1835 ई. में वाराणसी में हुआ था ।
- वास्तविक नाम मणिकर्णिका या मनु (प्यार से) था ।
- माता का नाम भागीरथी बाई तथा पिता का नाममोरोपंत ताँबे था ।
- बाजीराव मनु को 'छबीली' कहकर पुकारते थे ।
- बाजीराव के महल में उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब तात्या टोपे का पालन-पोषण हो रहा था मनु भी इन्हीं के बीच में रही ।
- मनु का विवाह झाँसी के महाराज गंगाधर से हुआ था ।
- रानी के दत्तक पुत्र दामोदरराव को लार्ड डलहौजी ने झाँसी का उत्तराधिकारी मानने से इंकार किया तथा रानी को 5000 रू. वार्षिक पेंशन निर्धारित की ।
- 7 जून, 1857 को झाँसी में विद्रोह हो गया । झाँसी पर रानी का पुनः कब्जा हो गया, जो 10 माह तक रहा ।
- मार्च 1858 में अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज ने रानी से आत्मसमर्पण के लिए कहा । रानी ने ठुकराते हुए ह्यूरोज का सामना किया और 18 जून, 1858 को रानी देश के लिए बलिदान हो गई । ह्यूरोज ने कहा था 'विद्रोहियों में यदि कोई जमार्द था तो वह रानी लक्ष्मीबाई थी ।

तात्या टोपे

- तात्या टोपे का जन्म अहमदनगर जिले के येवला नामक ग्राम में 1914 को हुआ था ।
- इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पाडुंरंग था । इनके छोटे भाई का नाम गंगाधर था ।
- मराठा सेनापति बाजीराव तात्या से प्रसन्न होकर रत्न जडित टोपी उपहार में दी, इसी टोपी की बदौलत उनका नाम टोपे पडा ।
- तात्या टोपे के पिता पांडुरंग भट्ट बाजीराव के यहाँ पुरोहित थे । माता का नाम रूकमाबाई था ।
- बाजीराव का कोई पुत्र न होने के कारण बाजीराव ने नाना साहेब धोंधूपंत को पुत्र बना लिया था ।
- तात्या टोपे, नाना साहेब एवं मनु का पालन-पोषण एक साथ हुआ था ।
- तात्या ने 'गनीमी कावा पद्धति' को अपनाते हुए एक नवीन क्रांतिकारी राज्य की स्थापना की थी, जिसके केंन्द्र शिल्पी व जलालबाद थे ।
- तात्या ने अंग्रेजों से संघर्ष कर कानपुर पर अधिकार कर लिया था । अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेकर नरवर के राजा मानसिंह की सहायता से तात्या को 7 अप्रैल, 1859 को गिरफ्तार कर लिया।
- तात्या पर 15 अप्रैल, 1859 ई. को शिवपुरी के सैनिक न्यायालय पर मुकदमा चलाया गया । इस सैनिक न्यायालय का अध्यक्ष कैप्टन बॉग था, जिसने मृत्युदंड की सजा सुनाई।
- न्यायालय के आदेशानुसार 18 अप्रैल, 1859 को शिवपुरी में शाम 7 बजे तात्या टोपे को मृत्यु दंड दे दिया गया ।

अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद

- चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ई. को मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गाँव में हुआ था ।
- बचपन में ही पिता पंडित सीताराम का स्वर्गवास हो गया था, माता जगरानी ने पालन पोषण किया था ।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

भारतीय कृषि मंत्रालय के वैज्ञानिकों के आधुनिक शोधों के द्वारा एक नई प्रकार की फसल प्रतिरूप की आवश्यकता देखी जा रही है । जो निम्न प्रकार की है ।

1. एक फसली कृषि इस प्रकार की कृषि प्रतिरूप में एक समय में एक स्थान पर एक फसल की कृषि की जाती है। इस प्रकार का प्रतिरूप मुख्य रूप से विकसित राज्यों (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तरप्रदेश तथा तमिलनाडु इत्यादि) में गेहूँ चावल और नगदी फसलों में देखी जाती है ।
2. दो फसली कृषि – इस प्रकार की कृषि प्रतिरूप में एक स्थान पर एक वर्ष में दो फसलों का उत्पादन किया जाता है । जैसा कि भारत में पारंपरिक कृषि पद्धतियों मे अपनाया जाता था, इस प्रकार की फसल की कृषि करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता को पुनः एकत्रित करने में सहायता मिलती है । जैसे– भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा में कमी होने पर, यहाँ पर दलहनी फसलों का उगाया जाना ।
3. मिश्रित फसल प्रतिरूप – इस प्रकार को फसल प्रतिरूप में एक समय में एक स्थल पद दो या दो से अधिक फसलों को उगाया जाता है । भारत में मिश्रित फसल प्रतिरूप अधिक विस्तृत क्षेत्रों में की जाती है, मुख्यतः खरीफ के फसल के समय पर ।
4. सघन फसल प्रतिरूप – भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रीय में अत्यधिक लोगों की खाद्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस प्रकार की फसल प्रतिरूप अत्यधिक आवश्यक है । इसमें एक वर्ष में कई फसलों को एक ही क्षेत्र में उगाया जाता है ।

कृषि पद्धतियाँ

देश की प्राकृतिक दशा, जलवायु तथा मिट्टी में भिन्नता होने के कारण भारत के विभिन्न भागों में कई प्रकार की खेती होती है। खेती की निम्नांकित पद्धतियाँ है –

1. तर खेती – यह विशेषतः उन भागों में की जाती है जहाँ साधारणतया वर्षा 200 सेमी. या अधिक होती है, जैसे मध्य और पूर्वी हिमालय प्रदेश, दक्षिण बंगाल, मालाबार तट, असोम, नागालैण्ड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में । इन भागों में दो या दो अधिक बार बिना सिंचाई के भूमि से गन्ना, चावल, जूट आदि की फसलें प्राप्त की जाती है । इन्हीं भागों में देश का अधिकांश बागान कृषि एवं वार्षिक कृषि पौध का विस्तार भी मिलता है ।
2. आर्द्र खेती – यह विशेषकर कांप मिट्टी और काली मिट्टी वाले प्रदेशों में की जाती है । जहाँ वर्षा 100 से 200 सेमी. के बीच होती है । ऐसे भाग मध्यवर्ती गंगा का मैदान, कोंकण तट, उत्कल तट, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल उडीसा, है जहाँ प्रायः दो फसले पैदा की जाती है । कभी कभी जायद फसलें भी उत्पन्न कर ली जाती है । यहाँ पर पिछले 30–35 वर्षो से उन्नत सिंचाई तन्त्र का भी शुष्क मौसम में निरन्तर उपयोग किया जाता रहा है ।
3. सिंचित खेती– उन प्रदेशों में की जाती है । जहाँ 50 से 100 सेमी. तक वर्षा होती है। ऐसे भाग पंजाब, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, गंगा का पश्चिमी मैदान, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण भारत की नदियों के डेल्टा प्रदेश है । यहाँ सिंचाई द्वारा गेहूँ, चावल, गन्ना आदि फसलें पैदा की जाती है । अब दक्षिणी पठार के शुष्क व कम वर्षा वाले भागों, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान तथा हरियाणा के शुष्क भागों में गहरे नलकूप एवं नहरों द्वारा व्यापक स्तर पर सिंचाई का विकास कर वर्ष भर उन्नत कृषि तंत्र का लाभ उठाया जाता है । यहाँ प्रायः दो व तीन फसलें पैदा की जाती है ।
4. पहाडी खेती विशेषकर हिमालय और दक्षिण के पठारी ढालों पर की जाती है । यहाँ पहाडी ढालों को सीढ़ियों के आकार में काटकर छोटे खेत बना लेते है और उसमें बडे परिश्रम के साथ आलू, चावल, मसाले, अथवा चाय पैदा कर लेते है । इस प्रकार की खेती, असम, हिमालय के पहाडी ढालों, पश्चिमी घाट, अरावली के ढालों आदि पर की जाती है ।
5. झूम कृषि /चलवासी/स्थानान्तरित कृषि – यह एक स्थानान्तरणशील कृषि पद्धति है जिसे असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरूणांचल प्रदेश, उडीसा, मध्य प्रदेश, झारखण्ड आदि प्रदेशों की जनजातियों द्वारा किया जाता है ।
   यह कृषि का सार्वधिक प्राचीन रूप है । इस प्रकार की कृषि में वनों के छोटे भू–भाग वृक्षों एवं झाडियों को काटकर उनको जला दिया जाता है तथा इस भूमि पर कुछ वर्षो तक खेती की जाती है । उर्वरता समाप्त हो जाने पर यह प्रक्रिया किसी दूसरी जगह पर अपनाई जाती है ।
6. निर्वाहक अन्नोत्पादक कृषि – भारत में अनादिकाल में निर्वाहक कृषि प्रचलित रही है । इस प्रणाली में छोटे खेतों में पशु तथा मानव शक्ति प्रयुक्त करके पुराने ढंग के उपकरणों को सहायता से घरेलू माँग की पूर्ति करने के लिए याद्य फसलें उगायी जाती है । इस कृषि में सिंचाई की सुविधाओं की कमी सूखा तथा बाढ में क्षति, उन्नत बीजों, उर्वरकों, पीडकनाशकों, कीटनाशकों आदि का न्यून प्रयोग मृदा अपरदन की समस्या, कम उपज की प्राप्ति किसानों का निम्न जीवन स्तर, ऋणग्रस्तता आदि दोष पाये जाते हैं । इसमें खाद्य फसलों की प्रधानता होती है तथा वर्ष में दो या तीन फसलें सघन रूप से उगायी जाते है ।

7. वाणिज्यिक अन्नोत्पादक कृषि :- नयी कृषि रणनीति के अंतर्गत सिंचाई, उन्नत किस्म के अधिक उपज वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों पीडकनाशकों फार्म मशीनरी आदि पर विशेष बल दिया गया है । कृषि की यह नयी विधि विगत तीन दशकों में देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में अपनायी गयी है । यह एक पूँजी सघन कृषि है । जिसमें फसलों का अधिशेष उत्पादन बाजार में लाभ कमाने के लिये किया जाता है । इससे भारत खाद्यानों में आत्मनिर्भर होन के साथ साथ निर्यात के लिए भी उत्पादन करने लगा है ।
8. बागानी कृषि – भारत में बागानी कृषि का प्रारंभ ब्रिटिश शासन काल में यूरोपीय बाजारों में चाय कहवा तथा रबड की माँग का पूरा करने के लिये किया गया। असम, पश्चिम बंगाल की पहाडियाँ कुमायूं (उत्तरांचल) तथा नील गिरी की पहाडियों में चाय के बागान लगाये गये हैं । कहवा तथा रबड के बागान कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में सीमित है । यह बागान विशाल फार्मों पर विस्तृत है तथा वाणिज्यिक स्तर पर छोटे कारखाने की भांति इनका प्रबंध किया जाता है, लगभग 11 लाख है । क्षेत्र पर बागान विस्तृत है ।
9. रैंचिंग खेती – इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुवाई, गुडाई, आदि नहीं की जाती है और न ही फसलों का उत्पादन किया जाता है बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे – भेड, बकरी आदि को चराया जाता है । इस प्रकार की खेती ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, तिब्बत तथा भारत के पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में भेंड, बकरी चराने के लिए की जाती है । ज्ञातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भेड, बकरी रखने वालों का रैंचर की संज्ञा दी जाती है ।
10. विस्तृत कृषि – विस्तृत आकार वाले जोतो के बडे – बडे खेतों पर यांत्रिक विधियां से की जाने वाली कृषि का विस्तृत कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है । इस प्रकार की कृषि में श्रमिकों का उपयोग कम होता है, किन्तु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है । इस प्रकार यद्यपि प्रति हैक्टेयर उत्पादन कम होता है किंतु कुल उत्पादन काफी अधिक होता है । कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कृषि भूमि की उपलब्धता अधिक होती है ।
11. समोच्च खेती – ढाल के उपर एक ही ऊँचाई के अलग अलग दो बिन्दुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कण्टूर कहते है । ढाल के विपरीत कण्टूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना, समोच्च खेती कहलाती है । इस विधि द्वारा खेती पहाडों पर की जाती है। इसके द्वारा कम वर्षो वाले क्षेत्रों में नमी को सुरक्षित रखा जा सकता है । अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी को सुरक्षित रखा जा सकता है । अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी का समान वितरण तथा विभिन्न कृषि कार्यों में समय की बचत होती है ।
12. सीढीदार कृषि– खेती की वह विधि जिसमें अधिक ढालू भूमि पर, ढाल को सीढ्यिानुमा परिवर्तित कर खेती की जाती है, सीढीदार कृषि कहलाती है । यह खेती असम तथा हिमालय के पहाडी ढालों पर की जाती है ।
13. कार्बनिक खेती – खेती की वह प्रणाली जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों कवकनाशकों, शाकनाशकों व वृद्धि नियंत्रकों आदि का प्रयोग नहीं होता अपितु जीवार्थ पदार्थ वाले कृषि आगतों का प्रयोग हो, उसे कार्बनिक खेती अथवा सुसंगत कृषि की संज्ञा प्रदान की जाती है । खेती की इस पद्धति को पारिस्थितिकी कृषि भी कहा जाता है ।
14. 'ले' खेती – कृषित फसलों (जो वार्षिक जुताई चाहती है) के फसल चक्र में दो वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना 'ले' फार्मिंग कहलाता है ।
15. ट्रक फार्मिंग – यह भी व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियाँ एवं फलों फूलों की कृषि है, जिसमें परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग किए जाने के कारण इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है । इस प्रकार की कृषि का विकास विश्व के औद्योगिक क्षेत्रों के समीपवर्ती भागा में हुआ है ।
16. बहुफसली शस्यन – बहुफसली फसलोत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कई फसलों का अल्पकालिक अनुक्रम में उसी खेत पर उगाया जाता है । इन फसलों के जीवन काल के बीच में अंशशस्य लेने से प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि की जा सकती है । इस प्रकार के फसलोत्पादन योजना हेतु कम समय में तैयार होने वाली, अधिक उपज देने वाली तथा अत्यधिक उर्वरक उपयोग क्षमता वाली फसलों की प्रजातियाँ तथा सिंचाई, खाद व उर्वरकों की समुचित व्यवस्था नितान्त आवश्यक होती है। इसकी निम्नलिखित विधियाँ है – (क) अंतरा सस्यन, (ब)सतत् सस्यन (स) अनुपद सस्यन / असतत् सस्यन (द) मिश्रित सस्यन
    (क) अंतरा सस्यन – एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी पर या एक निश्चित अनुपात में उगाने की कृषिकला का अंतरा सस्यन कहते है। उदाहरण : गेहँ, सरसों इसका मुख्य उद्देश्य दो फसलों के रिक्त स्थानों का अधिक फसलोत्पादक हेतु उपयोग में लाना है ।
    (ब) सतत् सस्यन – किसी खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम में उगाना सतत् सस्यन कहलाता है । ऐसे सस्यन में पहले फसल के कटते ही दूसरी फसल को

बो दिया जाता है अर्थात् आगामी फसल की बुआई तथा पूर्ववर्ती फसल की कटाई, एक शीघ्र क्रम में होती है। मक्का की कटाई/तुडाई के तुरंत बाद आलू को उगाना तथा आलू को खोदकर तुरंत मिर्चे को लगाना सतत् सस्यन का उदाहरण है ।

(स) अनुपद सस्यन् – अनुपद सस्यन की अवधारण 'रिले दौड' से आई है । रिले दौड में चार धावक अपने हाथ में झंडे को लेकर दौडते है । पहला धावक अपने दौड के अंतिम चरण से पहले ही दूसरे धावक को तथा दूसरा तीसरे को और तीसरा धावक चौथे को अपना झंडा बढा देते है । अनपद सस्यन में झंडे का स्थान खेत है तथा धावक के स्थान पर फसल ले लेती है । इसमें पूर्ववर्ती फसल के कटने से पहले ही आगामी फसल को लगा दिया जाता है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि दोनों फसलों में प्रतियोगिता न्यूनतम हो । इसके लिए आगामी फसल की बुवाई पूर्ववर्ती फसल की कार्यिकी परिपक्वता के बाद ही करनी चाहिए ।

(द) मिश्रित सस्यन – जब किसी खेत में दो या दो से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति विन्यास या अनुपात के साथ-साथ उगाई जाती है तब उसे मिश्रित सस्यन कहते है । ऐसे सस्यन में बीजों की बुवाई छिडकाव विधि से होती है ।

17. दियारा खेती – इसे नदियारी की खेती भी कहते है । जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ आती है उन क्षेत्रों में बाढ का पानी निकल जाने के बाद, वर्षा ऋतु के अंत में, उन क्षेत्रों में फसलों की बुआई को दियारा खेती कहते है । इसमें नदियों के किनारे की भूमियाँ भी सम्मिलित है । पूर्वी उ.प्र. एवं बिहार के बाढ वाले क्षेत्र इसके उपयुक्त उदाहरण है

मिश्रित कृषि – मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन पर भी उतना ही बल दिया जाता है । फसल एवं पशु पालन का एक अच्छा संयोजन इस कृषि की विशेषता है । इस कृषि में फसल केवल खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ही नहीं पैदा की जाती बल्कि इनके साथ साथ चारे की तथा नकदी फसलें भी उसी पैमाने पर उगाई जाती है ।

डेयरी कृषि – दूध तथा अन्य दुग्ध उत्पादों की नगरीय माँग की आपूर्ति हेतु दुधारू पशुओं, विशेषतः गायों के पालन को डेयरी फार्मिंग की संज्ञा दी जाती है । डेयरी कृषि का विकास यूरोप में औद्योगीकरण से सह-संबंधित नगरीकरण के कारण हुआ है । नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हुई जिसकी आपूर्ति के लिए डेयरी कृषि विकसित हुई ।

उद्यान कृषि :- उद्यान कृषि के मुख्य उत्पाद फल एवं फूल है। फल-फूल की कृषि कृषक अपने उपभोग के अतिरिक्त व्यापार के लिए करते है इन उत्पादों की मांग नगरों में अधिक है। फलों एवं फूलों में बहुत अधिक क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है ।

सहकारी खेती :- सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित कृषि है । इसके अंतर्गत उत्पादन के कारकों पर स्वामित्व उन सभी किसानों का सामूहिक रूप से होता है जो सहकारी समिति के सदस्य होते है । किसान स्वेच्छा से सहकारिता को अपनाते है । प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर इसकी कार्यकारिणी के सदस्य दिन प्रतिदिन के निर्णय लेते है। हर सदस्य सहकारी खेतों पर अपना श्रम देते है। सहकारी खेती की विशेषता यह है कि इसमें जोत का आकार बडा हो जाने के कारण मशीनीकरण किया जा सकता है। उत्पादन बडे पैमाने पर संभव होता है तथा बडी मात्रा में पूँजी निवेश किया जा सकता है ।

18. शुष्क क्षेत्र कृषि – यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वर्षा की मात्रा 75 सेमी. से कम पायी जाती है । यह कृषि द.प. उ.प्र., महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाण के कुछ भागों में की जाती है । इन क्षेत्रों में वर्षा कम तथा अनिश्चित पायी जाती है । जिस कारण यह क्षेत्र अक्सर सूखे की चपेट मे रहते है । ज्वार बाजरा, मक्का, कपास, मूँगफली, दालें एवं तिलहन इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें ।

अनुबंधित खेती

अनुबंधित खेती के अंतर्गत किसान तथा फर्म/एजेन्सी के बीच एक अनुबंध होता है जिसमें किसान को पूर्व निर्धारित मूल्य पर अपनी समस्त कृषि /बागवानी उत्पादन की आपूर्ति फर्म को करनी होती है । कृषक को संबंधित वस्तुओं की मात्रा और गुणवता को सुनिश्चित करनी होती है जबकि अनुबंधित फर्मो को पूर्व निर्धारित मूल्य एवं प्रक्रिया के अनुरूप किसान को भुगतान सुनिश्चित करना होता है ।

कॉरपोरेट खेती :- यदि किसी उद्योगपति द्वारा स्वयं कृषि कार्य संपादित किया जाय तो उसे कॉरपोरेट कृषि कहते है । जबकि Contract Farming में किसान स्वयं अपनी भूमि पर कृषि कार्य करता है ।

फर्टीगेशन :- फर्टीगेशन एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्लांट (पौधों) या फसलों को दिए जाने वाले प्लान्ट पोषक तत्व सिंचाई के माध्यम से दिए जाते है । इस विधि के प्रयोग से उर्वरक की 25 प्रतिशत की बचत होती है तथा पौधों को दिए जाने वाले पोषक तत्व का पौधों द्वारा पूर्ण उपयोग होता है ।

वहनीय (पोषणीय) कृषि – भूमि की निरंतर जुताई तथा जल संसाधनों के अतिशय दोहन के कारण इन संसाधनों को भारी क्षति पहुँची है । बडे पैमाने पर सिंचाई के विकास ने मिट्टी की लवणता तथा जल सिक्ती की समस्याओं को उग्र बना दिया है । पौध संरक्षण में रसायनों तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टियाँ प्रदूषित हो गयी है तथा पौधे (खाद्य पदार्थ) विषाक्त हो गये है जो मानव स्वास्थ्य के लिए संकटकारी है । अब समय आ गया है कि हम वहनीय कृषि तथा वहनीय सिंचाई अपनाने के बारें में सोचे जो आर्थिक रूप से उचित हो तथा पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हो साथ ही आने वाली पीढियों के लिए भी कृषिगत् उत्पादों की जरूरत के अनुसार कृषि की जाए । पारिस्थितिकी तथा मानव स्वास्थ्य पर हरित क्रांति के हानिकारक प्रभावों के प्रति चिंता के कारण वैकल्पिक कृषि प्राविधिकी ढूँढने की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है । अब वैज्ञानिक कृषि में 'जीन क्रांति' कर वकालत कर रहे है । आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को पीडकनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है । चावल, सरसों, कपास, तथा अनेक सब्जियों की आनुवांशिक रूप से पीडक प्रतिरोधी किस्में विकसित करने के प्रयास जारी है । यही नहीं हरित क्रांति के विकल्प के रूप में इकोफार्मिंग जिसे 'जैविक कृषि' ।

'फुकुओका–कृषि' या 'वहनीय कृषि' भी कहा जाता है, उसको अपनाने पर बल दिया जा रहा है । इसके अंतर्गत उत्पादकता बढाने के लिए टिश्यू कल्चर जैसी जैव–प्राविधिकी का अधिक मात्रा में प्रयोग आवश्यक है, जो श्रम सघन होने के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी फलदायी है । इको–फार्मिंग में रासायनिक उर्वरकों तथा पीडकनाशकों के स्थान पर 'जैव–उर्वरकों' तथा 'जैव–पीडकनाशकों' के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाता है ।

मध्य प्रदेश में कृषि

मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, किंतु कृषि की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में पिछडा है । यहाँ की धरातलीय विषमता, मानसून पर निर्भरता, अविकसित तकनीक एवं आधुनिक कृषि यंत्रों एवं उपकरणों के अभाव में प्रदेश को इस क्षेत्र में वांछित सफलता नहीं मिल पाई है । मध्यप्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र तथा 5 फसल जोन में विभाजित किया गया है । मध्य प्रदेश की 72 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में रहती है तथा कुल जनसंख्या का 69.8 प्रतिशत कृषि से संबंधित है । मध्य प्रदेश की कुल फसलों में 62 प्रतिशत खरीफ तथा 38 प्रतिशत रबी का हिस्सा है । मध्य प्रदेश की कुल जी.डी.पी. में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 46.98 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2020–2021 में कुल कृषि उत्पादन 5.53 करोड मीट्रिक टन तथा विगत 5 वर्षो से कृषि विकास दर औसतन 20 प्रतिशत रही है । मध्य प्रदेश दलहन, चना, सोयाबीन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है । मध्यप्रदेश मं कृषि जोत का औसत आकार 2.2 हेक्टेयर है । शुद्ध जोतों का कुल क्षेत्रफल 163.72 लाख हेक्टेयर है । कृषि जोत को सर्वाधिक औसत आकार हरदा में, जबकि न्यूनतम औसत आकार कटनी/नीमच में है । मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शस्य गहता होशंगाबाद जिले में, जबकि सबसे कम भिंड जिले में है ।

मध्यप्रदेश में खाद्यान्न की प्रति हेक्टेयर उपज दर 2386 किलोग्राम है, पिछले लगातार 5 वर्षो से मध्य प्रदेश कृषि कर्मण पुरस्कार विजेता है ।

मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र

कृषि विभाग द्वारा मध्यप्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है–

1. पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश : मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, बडवाली, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, खण्डवा, खरगौन आदि ज्वार एवं कपास के प्रदेश है ।
2. उत्तर में ज्वार–गेहूँ का प्रदेश :- मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर तथा टीकमगढ जिलों में है । एक अन्य प्रदेश छिंदवाडा तथा बैतूल में भी है ।
3. मध्य गेहूँ का प्रदेश : इसमें भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर तथा दमोह जिले शामिल है ।
4. चावल गेहूँ का प्रदेश : इसमें उत्तर में पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर तथा सिवनी के दक्षिण तक के पंटी शामिल है ।
5. सम्पूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश (चावल का प्रदेश) : इसमें रीवा, सीधी, शहडोल, डिण्डोरी, मण्डला, बालाघाट आदि जिले सम्मिलित है ।

मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें

मध्य प्रदेश में वर्षा एवं तापमान के असमान वितरण तथा भौगोलिक विषमता होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में भारत व अधिकांश फसलों का उत्पादन किया जाता है ।

- खाद्यान्न फसले – गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार
- दलहन फसले – चना, तुअर/अरहर
- तिलहन फसले – सोयाबीन, अलसी, तेल, मूंगफली, सरसो
- नकदी फसले – गन्ना, कपास

मध्य प्रदेश में पशुपालन

- 20वी पशुगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में 40.6 मिलियन पशु हैं। राज्य में पशु संख्या में 11. 81% का परिवर्तन आया है।
- पशुधन आबादी में वृद्धि करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश (11.81%), पश्चिम बंगाल (23.32%), तेलंगाना (22.21%), आंध्र प्रदेश (15.79%) के बाद चतुर्थ स्थान पर है।
- मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व 105 पशु प्रति वर्ग किमी. है।
- सर्वाधिक पशु घनत्व झबुआ (203) जिले में तथा न्यूनतम पशु घनत्व होशंगाबाद (45) जिले में है।

मध्य प्रदेश में 8 पशु प्रजनन क्षेत्र हैं। यहाँ संख्या में सर्वाधिक पशु टीकमगढ जिला तथा न्यूनतम पशु बुरहानपुर जिला में है, मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है। यहाँ पशुओं में सबसे अधिक संख्या बकरियों की है जिन्हें ' गरीब की गाय' भी कहा जाता है।

जमुनापारी बकरी की देशी नस्ल है, जो मुख्यतः भिंड जिले में पाई जाती है। मुर्रा, भदावरी, भैंधवारी भैंस की नस्ल है, जो मुख्यतः ग्वालियर और भिंड जिले में पाई जाती है। निमाडी गाय (निमाड की रानी) सर्वाधिक दूध देने वाली गाय देसी है जो मुख्यतः झाबुआ, अलीराजपुर धार जिले में पाई जाती है। कडकनाथ (मध्यप्रदेश का गौरव) मुर्गे की देसी प्रजाति है, जो मुख्यतः झाबुआ, अलीराजपुर धार जिले में पाया जाता है। इनमें प्रोटीन व हीमोग्लोबिन की प्रचुरता होती है। रानीखेत मुर्गियों में होने वाला एक जानलेवा रोग है।

क्र. सं.	विवरण	भारत	मध्य प्रदेश	भारत की तुलना में म.प्र. की प्रतिशत
1.	गौवंशीय			
(अ)	संकर नस्ल पशु	51356405	1694975	3.30
(ब)	देशी नस्ल पशु	142106466	17055853	12.00
	कुल गौवंशीय पशु	193462871	18750828	9.69
2	भैंस वंशीय पशु	109851678	10307131	9.38
3	भेडा - भेडी	74260615	324585	0.44
4	बकरा-बकरी	148884786	11064524	7.43
5	सूकर	9055488	164616	1.82
6	घोडे-टट्टू	342226	13260	3.87
7	खच्चर	84261	2543	3.02
8	गधे	123587	8135	6.58
9	ऊँट	251956	1753	0.70
कुल पशुधन		536761343	40637375	7.57
10	कुल कुक्कुट	851809931	16659898	1.96

स्त्रोत - भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पुस्तिका अनुसार

मत्स्य पालन

मध्य प्रदेश में 1969 में राज्य मत्स्य निगम की स्थापना की गई थी, किंतु 1999 में समाप्त कर मध्य प्रदेश के मत्स्य महासंघ बनाया गया । मध्य प्रदेश में वर्ष 1997 में मत्स्य पालन को बढावा देने के लिए कृषि का दर्जा प्रदान किया गया । 2008 में जबलपुर में आयोजित तहसील पंचायत मध्य प्रदेश की पहली मत्स्य पालन नीति घोषित की गई । मध्य प्रदेश में जलदीप योजना मछुआरों से संबंधित है, जिसे इंदिरा सागर जलाशय (खंडवा) से प्रारंभ किया गया था । प्रदेश में मछुआरों हेतु जनश्री बीमा योजना भी लागू की गई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाले जिले जबलपुर व सिवनी हैं।

ऑपरेशन फ्लड

मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत डेयरी विकास कार्यक्रम 1970 के दशक से चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश स्टेट डेहरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन 1975 में किया गया था । प्रदेश में 1980-81 में ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में तृतीय चरण चल रहा है। मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में 7 वें स्थान पर है । 2019-20 में मध्यप्रदेश में 171.09 लाख मैट्रिक टन दुग्ध का उत्पादन हुआ है। जो विगत् वर्ष की तुलना में 7.55% की वृद्धि अर्जित करता है ।

पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवम्बर, 1982 को की गई । निगम का मुख्य उद्देश्य पशु उत्पादन एवं कुक्कुट उत्पादों का उत्पादन, संग्रहण, पालन-पोषण और विपणन करना तथा पशु एवं कुक्कुट का संरक्षण प्रबंधन और विकास करना है।

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

- मध्य प्रदेश में पशुधन में सर्वाधिक संख्या बकरियों की है।
- मध्य प्रदेश मे वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार 80.14 लाख बकरे/बकरियाँ तथा 7.03 लाख भेडे है।
- वर्ष 2019 की पशुसंगणना के अनुसार प्रदेश में 40.6 मिलियन पशधन तथा कुक्कुर एवं बतख पक्षी है ।
- प्रदेश में पशुधनों में सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय है।
- मध्यप्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए ' गौ सेवा आयोग' बनाया गया है।
- पशुधन से संबंधित 'गौ सेवक योजना' का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।
- पशु घनत्व सर्वाधिक सागुआ में 203 पशु प्रति वर्ग किमी है ।
- सबसे कम पशु घनत्व 55 प्रति वर्ग कि.मी. होशंगाबाद जिले में है।
- पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलिज जबलपुर की स्थापना 8 जुलाई 1948 को कृषि वि. वि. जबलपुर के अन्तर्गत की गई थी। जिसे 3 नवम्बर 2009 को नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।
- दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1997 में विश्व बैंक के सहयोग से 'एकीकृत डेयरी विकास परियोजना' प्रारभ की गई है।
- प्रदेश के शहडोल, मण्डला, सीधी, बालाघाट व छिंदवाडा जिले मे एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना संचालित की जा रही है
- प्रदेश में उन्नत नस्ल के गौ वंशीय सांड प्रदाय कर नस्ल सुधार के लिए 26 अक्टूबर 2005 में नंदी
- शाला योजना प्रारंभ की गई है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) :- वित्तीय वर्ष 2014'15 में शुरू किया गया राष्ट्रीय पशुधन मिशन पशुधन उत्पादन के तरीकों और सभी हितधारकों के क्षमता निर्माण में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

- गठन : 1970
- मुख्यालय : करनाल, हरियाणा
- यह ऐसी एजेंसी है जो परियोजना को कार्यान्वित करती है।
- वित्तीयन : केन्द्र व राज्य का अनुपात 50:50 है। गहन डेयरी विकास कार्यक्रम :- नॉन ऑपरेशन फ्लड पहाडी तथा पिछडे क्षेत्रों में दुग्ध, उत्पादन और विकास परियोजना की समेकित डेयरी उपलब्धता (आईसीडीपी) नाम से यह योजना 1993-94 में 100 प्रतिशत सहायता अनुदान के आधार पर शुरू की गई थी ।

श्वेत क्रांति

देश में दुग्ध में क्रांतिकारी वृद्धि लाने के लिए किए गए प्रयासों की समग्र रूप से श्वेत क्रांति कहा गया है, भारत की अधिकांश जनता कुपोषण से पीडित है। दूध जो प्रोटीन और कैल्शियम जैसे तत्वों का महत्वपूर्ण स्त्रोत है, इसका उत्पादन बढाने से न सिर्फ भारतीय भोजन में पोषक तत्वों की बढोतरी होगी बल्कि दुग्ध उत्पादों पर आयात निर्भरता को समाप्त करने की आवश्यकता थी ।

श्वेत क्रांति मुख्य रूप से तीन चरणों में हुई।

1. प्रथम चरण - (ऑपरेशन फ्लड -1) इसकी शुरूआत 1970 में की गई। इस चरण में गुजरात तथा देश के दूसरे महानगरों में डेयरियों की स्थापना की गई ।
2. दूसरे चरण (ऑपरेशन फ्लड -2) (1980-1981) इस चरण में दुधारू पशुओं के लिए चारे की समुचित व्यवस्था हेतु चारागाहों का विकास पर जोर दिया गया साथ ही पशुओं के नस्लों में सुधार और पशुयंत्रों पर नियंत्रण के लिए शोधकार्यों की प्रधानता दी गई और डेरियों की संख्या में विस्तार किया ।
3. तीसरे चरण (1985 - अब तक) इसके अंतर्गत देश के उन शेष गांव, राज्यों में जहां डेयरी उद्योग विकसित नहीं हो पाए थे, वहां विभिन्न दुग्ध उत्पादन केन्द्र की स्थापना की गई ।

पशुधन बीमा योजना

पशुधन बीमा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 और 11वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2007-08 में प्रयोग के तौर पर देश के 100 चयनित जिलों में क्रियान्वित की गई थी । यह योजना देश के 300 चयनित जिलों में नियमित रूप से चलाई जा रही है। पशुधन बीमा योजना की शुरूआत दो उद्देश्यों किसानों तथा पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के

कारण हुए नुकसान से सुरक्षा मुहैया करवाने हेतु तथा पशुधन बीमा के लाभों का लोगों को बताने तथा इसे पशुधन तथा उनके उत्पादों के गुणवत्तापूर्ण विकास के चरम लक्ष्य के साथ लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया। योजना के अंतर्गत देशी/संकर दुधारू मवेशियों और भैंसे का बीमा उनके अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है। बीमा का प्रीमियम 50 प्रतिशत तक अनुदानित होता है। अनुदान की पूरी लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। अनुदान का लाभ अधिकतम दो पशु प्रति लाभार्थी को अधिकतम तीन साल की एक पॉलिसी के लिए मिलता है। यह योजना गोवा को छोडकर सभी राज्यों में संबंधित राज्य पशुधन विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

20वीं राष्ट्रीय पशुधन संगणना

- 16 अक्टूबर, 2019 को केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रकाशित 20वीं राष्ट्रीय पशुधन संगणना 2019 को जारी किया गया ।
- उल्लेखनीय है कि देश में पशुधन संगणना वर्ष 1919 में प्रारंभ हुई थी तथा तब से यह देश में विभिन्न वर्गों की पशु प्रजातियों की गणना करने के लिए सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार आयोजित की जा रही है। पिछली पशुधन संगणना (19वीं)वर्ष 2012 को संदर्भ वर्ष लेते हुए की गई थी ।
- 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार वर्ष 2019 में देश में कुल पशुधन जिसमें गौवंशीय, भैंस, भेड, बकरी, सुअर, घोडे एवं टट्टू, खच्चर, गधे, ऊंट मिथुन और याक शामिल है जिनकी जनसंख्या 535. 78 मिलियन रही जो वर्ष 2012 की संगणना (512.05मिलियन) की तुलना में लगभग 4.6 प्रतिशत अधिक है।
- 2019 में कुल गोजातीय आबादी जिसमें मवेशी, भैंस, मिथुन और याक शामिल है - 303.76 मिलियन थी, जो 2012 के बाद 1.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- 2019 में गाय की आबादी 145.91 मिलियन थी, जो पिछली जनगणना से 18.6 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2019 में देश में दुधारू (दूध दे रही और सूखी) गायों एवं भैंसों की संख्या के 118.59 मिलियन से बढकर 125.75 मिलियन हो गई, जो कि 6 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।
- 2012-19 के दौरान कुल स्वदेशी मवेशियों की आबादी में 6 प्रतिशत की गिरावट आयी है हालाँकि गिरावट की दर 2007-12 के दौरान 9 प्रतिशत की कमी आयी थी जो 2007-12 की तुलना में कम गिरावट थी।
- पशुधन संगणना 2019 के अनुसार देश में कुल भेडों की संख्या 74.26 मिलियन है, जो विगत संगणना (2012) से लगभग 14.01 प्रतिशत अधिक है।
- बकरियों की संख्या इसी अवधि में 10.01 प्रतिशत बढकर होकर 148.88 मिलियन के स्तर पर आई है।
- पिछली पशुधन संगणना की तुलना में 2019 में देश में सुअरों की संख्या 12.03 प्रतिशत कम होकर 9. 06 मिलियन के स्तर पर है।
- इसी अवधि में घोडों एवं टट्टुओं की संख्या 45.2 प्रतिशत कम होकर 3.4 एवं खच्चरों की संख्या 57.1 प्रतिशत की कमी आयी है जबकि ऊंटों की संख्या 37.1 प्रतिशत कम होकर 2.5 लाख मिलियन तथा गधों की संख्या 61.2 प्रतिशत की कमी आयी है ।
- देश में कुल कुक्टुटों की संख्या (कुल पशुधन में शामिल नहीं) पिछली संगणना की तुलना में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2019 में 851.81 मिलियन रही है।

विभिन्न पशुओं के शीर्ष प्रतिशत वाले राज्य

- गोवंशीय पशु : 1. मध्यप्रदेश 2. उत्तर प्रदेश 3. पश्चिम बंगाल 4. महाराष्ट्र 5. राजस्थान
- भैंस - 1. उत्तर प्रदेश 2. राजस्थान 3. आंध्र प्रदेश 4. गुजरात 5.मध्यप्रदेश
- भेड : 1. आंध्र प्रदेश संयुक्त 2. कर्नाटक, 3. राजस्थान 4. तमिलनाडु 5. जम्मु एवं कश्मीर
- बकरी : 1. राजस्थान 2. उत्तर प्रदेश 3. बिहार 4. पश्चिम बंगाल 5. आंध्र प्रदेश संयुक्त
- सुअर : 1. असम, 2. उत्तर प्रदेश 3. झारखण्ड 4. बिहार, 5. पश्चिम बंगाल
- ऊंट : 1. राजस्थान , 2. गुजरात 3. हरियाणा 4. बिहार 5. उत्तर प्रदेश
- घोडे एवं टट्टू : 1. राजस्थान , 2. जम्मु एवं कश्मीर 3. महाराष्ट्र 4. बिहार 5. उत्तर प्रदेश
- कुक्कुट : 1. आंध्र प्रदेश संयुक्त , 2. तमिलनाडु 3. महाराष्ट्र 4. कर्नाटक 5. पश्चिम बंगाल
- देश में दूध दे रहे कुल पशुओं की संख्या 19वीं पशुधन संगणना 2019 में 125.75 मिलियन है । उल्लेखनीय है कि वित वर्ष 2014-15 में ही राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य पशुधन उत्पादन प्रणालियों में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार के साथ सभी हितधारकों का क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना है।

मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993

- मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है, जिसने 73वें संविधान के पालन हेतु सबसे पहली नवीन पंचायती राज अधिनियम पारित कर त्रि-स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की ।
- मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को 30 दिसम्बर, 1993 को विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया था और जनवरी, 1994 को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया, तथा 25 जनवरी, में 1994 को लागू कर दिया गया ।
- मध्यप्रदेश में 25 जनवरी को प्रतिवर्ष पंचायत दिवस मनाया जाता है ।
- अधिनियम बनने के बाद 19 जनवरी, 1994 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने 15 अप्रैल, 1994 को पंचायतों के चुनाव अधिसूचना जारी की।
- चुनाव सम्पन्न होने के बाद अगस्त 1994 से मध्यप्रदेश में विधिवत पंचायती राज प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया ।
- मध्यप्रदेश में तीनों स्तर की पंचायतों का दोबारा व तीसरी बार चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं ।
- मध्यप्रदेश में पंचायत व्यवस्था मूलतः ''पंचायती राज अधिनियम'' 1962 के द्वारा नियंत्रित होती है ।
- 73वें संविधान संशोधन के आधार पर सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में चुनाव कराए गए तथा अधिनियम को लागू किया गया। इसके प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-
- राज्यपाल द्वारा ग्राम या ग्राम समूह को ग्रामसभा के रूप में गठित किया जाएगा जिसका सदस्य प्रत्येक वह व्यक्ति होगा जिसका नाम उस गाँव की मतदाता सूची में होगा ।
- ग्राम सभा के कम से कम चार सम्मेलन एक वर्ष में होगा ।
- प्रत्येक गाँव के लिए 10 से 20 सदस्यीय ग्राम पंचायत, प्रत्येक विकास खण्ड के लिए 5000 जनसंख्या पर एक सदस्य (अधिकतम 25 सदस्यीय थे) जनपद पंचायत तथा प्रत्येक जिले के लिए 50,000 जनसंख्या पर एक सदस्य वाली (अधिकतम 35 सदस्यीय) जिला पंचायत का गठन किया जायेगा।
- 1994 से पहले द्विस्तरीय व्यवस्था लागू थी - जिला और जनपद पंचायतें ।
- सभी पंचायतों का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष का होगा। जब तक समय से पूर्व किसी पंचायत का विधिक प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं किया जाता है ।
- विघटित होने की दशा में छः माह के अन्दर चुनाव करवाना अनिवार्य होगा ।
- पंचायतों के निष्पक्ष एवं समय पर चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया जिसका अध्यक्ष श्रीएन.वी लोहानी को नियुक्त किया गया।
- प्रत्येक विकास खण्ड की ग्राम पंचायत में अजा एवं अनुसूचित जन जाति का कुल जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण व्यवस्था की गई । जिन विकास खण्डों में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या आधे से कम है, वहाँ 25 प्रतिशत पद अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए ।
- प्रत्येक स्तर पर 50 प्रतिशत स्थान उक्त वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किए गए । वर्तमान में आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है ।
- ग्राम पंचायत का सरपंच यदि अजा/अजजा व अन्य पिछडा वर्ग का नहीं है, तो उपसरपंच अवश्य ही इन वर्गों का होगा ।
- जनपद एवं जिला पंचायतों में भी सदस्यों एवं अध्यक्षों के लिए अजा/अजजा को उसकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण किया गया। जहाँ उक्त आरक्षित वर्गों की जनसंख्या आधे से कम होगी, वहाँ अन्य पिछडा वर्ग के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया ।
- ग्राम, जनपद, जिला पंचायत की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जायगे ।
- तीनों स्तर की पंचायतों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन किया गया और उनके कार्यों में सहयोग हेतु ग्राम पंचायत के लिए ''ग्राम पंचायत सचिव'' जनपद और जिला पंचायतों के स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों को बढाने हेतु उन्हें अपने क्षेत्र के कर लगाने वसूलने का अधिकार दिया गया ।
- पंचायतों की कार्यवाहियों के निरीक्षण एवं जाँच के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को अधिकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसने सरकार समय-समय पर जाँच करा सकती है ।
- पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदाधिकारी या कर्मचारी पंचायत के किसी धन या संपत्ति की हानि या दुरुपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा ।
- सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों 3/4 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर, अपने पद पर नहीं रह जाएगा, किन्तु 3/4 बहुमत

उस समय पंचायत के कुल सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए ।

- अविश्वास प्रस्ताव पंचायत के गठन के एक वर्ष तक तथा अवधि समाप्ति होने के अंतिम 6 माह में नहीं लगाया जा सकता है ।
- राज्य से पंचायत संस्थाओं के लिए वित्त अनुदान दिए जाने हेतु एक वित्त आयोग गठित किया जायेगा । नवगठित मध्यप्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया थे वर्तमान में डी.पी. सिंघल है ।
- 1 नवम्बर, 1956 मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, राज्य निर्माण से पूर्व मध्य प्रदेश की तीन इकाइयाँ मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश व महाकौशल में अलग-अलग पंचायती राज व्यवस्था कायम थी।
- राज्य के निर्माण के पष्चात् इस व्यवस्था का एकीकरण करने के लिए 1962 में प्रथम बार पंचायत अधिनियम लागू किया गया।
- मध्य प्रदेश में पहली बार जनपद चुनाव 1971 में करवाया गया।
- वर्श 1981 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ जिसमें राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई।
- देश में 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 24 अप्रैल, 1993 से पंचायती राज व्यवस्था के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गये व नगरीय प्रशासन का चुनाव आयोजित कराने के लिए 19 जनवरी, 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया।
- राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री एन.वी. लोहानी थे।
- देश में नई संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों व नगर प्रषासनों के चुनाव कराने वाला देश में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना।

त्रिस्तरीय पंचायत

- वर्तमान समय में राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम है, इसके तीन स्तर निम्न है -
  (i) ग्राम पंचायत - एक या एक से अधिक गाँवों के लिए
  (ii) जनपद पंचायत - प्रत्येक खण्ड या जनपद के लिए
  (iii) जिला पंचायत - प्रत्येक जिला के लिए
- 1993 के पंचायती राज अधिनियम के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत प्रमुख के निर्वाचन की स्थिति में यह व्यवस्था की गई है कि केवल ग्राम पंचायत के सरपंच की निर्वाचन प्रक्रिया का जिम्मा राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा, जबकि जनपद व जिला पंचायतों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के माध्यम से चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
- 73वाँ संशोधन अधिनियम अपेक्षा करता है कि पंचायतों में इसके सदस्यों और अध्यक्षों के दोनों स्थानों पर महिलाओं के लिए (एस.सी. + एस.टी. महिलाओं सहित) एक तिहाई स्थान आरक्षित किया गया।
- यदि अध्यक्ष पद के लिए(एस.सी., एस.टी., ओबीसी का उम्मीदवार न जीता तो निष्चित ही राज्य पंचायती राज व्यवस्था की आरक्षण प्रणाली के आधार पर उपाध्यक्ष का पद इन वर्गों में से एक को देना अनिवार्य है।
- 73वें संविधान संशोधन, 1992 के अनुसार मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993, 25 जनवरी 1994 से लागू किया गया।

ग्राम सभा सदस्य

वे व्यक्ति जिनके नाम उस पंचायत की मतदाता सूची में शामिल हो।

संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उसका प्रबंधन कराकर प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को स्थापित करना पंचायती राज संस्थाओं या विभाग का दायित्व है।

मध्य प्रदेश शासन की रचना (2021)